



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 318 राँची, मंगलवार, 19 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
9 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2016

झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016

ज्ञापांक - 01/स्था०श्र०नि०प्र०-404/2007श्र०नि० - 3399--भारत के संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद्वारा झारखण्ड, सामाजिक सुरक्षा सेवा संवर्ग में भर्ती एवं सेवाशर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

- यह नियमावली "झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016" कही जा सकेगी
- यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

2. परिभाषाएँ—जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में :-

- आयोग से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
- सरकार से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार,

- (ग) राज्यपाल से अभिप्रेत है झारखण्ड के राज्यपाल,
- (घ) "सेवा का सदस्य" का अभिप्रेत है झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा सेवा का ऐसा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति इस संवर्ग के किसी पद पर मौलिक या अस्थायी रूप से इस नियमावली के उपबंधों के अन्तर्गत की गई हो, और इसमें नियम 4 (1) में उल्लिखित पद पर पूर्व से नियुक्त किये गये व्यक्ति भी सम्मिलित है,
- (ङ) "विभाग" का अभिप्रेत है महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग।
- (च) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग।
- (छ) "संवर्ग" से अभिप्रेत सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा संवर्ग।

3. **प्रास्थिति** - झारखण्ड, सामाजिक सुरक्षा संवर्ग सेवावर्ग-2 की राजपत्रित सेवा होगी।

4. **संवर्ग की संरचना :-**

(I) इस सेवा में पद सोपान निम्नानुसार होंगे :-

पदनाम		वेतनमान	पे०बैंड	ग्रेडपे०
1		2	3	4
(क)	सहायक निदेशक	₹0 9300-34800	PB-II	4800
(ख)	उप निदेशक	₹015600-39100	PB-III	6600
(ग)	संयुक्त निदेशक	₹0 15600-39100	PB-III	7600

(II) पद का संख्या बल :-प्रत्येक जिले के लिए एक सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, प्रत्येक प्रमण्डल के लिए एक उपनिदेशक तथा निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक का एक पद, उपनिदेशक का एक पद तथा सहायक निदेशक के दो पद होंगे।

कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सरकार समय-समय पर विभिन्न पदों की संख्या का निर्धारण कर सकेगी।

(III) सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा का पदस्थापन जिलास्तर पर होगा। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति, वितरण, पर्यवेक्षण एवं स्थापना संबंधी कार्य देखेंगे। उपनिदेशक, सामाजिक सुरक्षा का पद प्रमण्डल स्तर पर होगा। उपनिदेशक अपने प्रमण्डल के अधीन जिले में कार्यरत सहायक निदेशक के कार्यों के पर्यवेक्षण के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य करेंगे। संयुक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा का एक पद निदेशालय स्तर पर होगा। इसके अतिरिक्त एक उपनिदेशक एवं दो सहायक निदेशक के पद भी निदेशालय स्तर पर होंगे जो निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में कार्य करेंगे।

भाग - 2 भर्ती

5. **भर्ती का स्रोत-**

(I) झारखण्ड, सामाजिक सुरक्षा के मूलपद (सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा) के कुल स्वीकृत पदों में से 75% पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 25 पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जायेंगे। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती इस नियमावली के भाग-2 (नियम-7) के अनुसार झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में केवल स्नातक उर्तीण समूह "ख" एवं समूह "ग" के कर्मी भाग ले सकेंगे। ऐसे सरकारी कर्मियों को, जिन्होंने

तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी की हो, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। महिलाओं को झारखण्ड सरकार के प्रावधानों के आलोक में उपरी आयु सीमा में छूट दी जायेगी। 175% पदों पर सीधी भर्ती हेतु झारखण्ड लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा तथा 25% पदों पर भर्ती हेतु झारखण्ड लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम अर्हतांक तथा परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा के संकल्प ज्ञापांक-13026, दिनांक-27.11.2012 तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/आदेश के आलोक में किया जायेगा।

सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2096, दिनांक-25.04.2011 तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/आदेश के अनुरूप होगी।

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा :-

प्रथम प्रश्न पत्र -	खण्ड (क) सामान्य ज्ञान-	40 अंक
	(ख) भारतीय संविधान	20 अंक
	(ग) लोक प्रशासन	20 अंक
	(घ) झारखण्ड की विकास योजनाएँ	20 अंक
	कुल अंक -	100 अंक
द्वितीय प्रश्न पत्र :	भाग-1 बिहार/झारखण्ड सेवा संहिता-	20 अंक
	भाग-2 बिहार/झारखण्ड पेंशन नियमावली-	10 अंक
	भाग-3 बिहार/झारखण्ड सामान्य भविष्यनिधि नियमावली-	10 अंक
	भाग-4 बिहार/झारखण्ड सचिवालय अनुदेश-	10 अंक
	भाग-5 बिहार/झारखण्ड यात्राभत्ता नियमावली-	10 अंक
	भाग-6 सरकारी सेवक आचार नियमावली-	10 अंक
	भाग-7 बिहार/झारखण्ड कोषागार संहिता-	10 अंक
	भाग-8 बिहार/झारखण्ड वित्त नियमावली-	10 अंक
	भाग-9 बिहार/झारखण्ड असैनिक सेवा नियमावली-	10 अंक
कुल अंक-		100 अंक

उच्चतर पदों यथा उपनिदेशक, सामाजिक सुरक्षा और संयुक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा की सभी रिक्तियों सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पदधारकों से प्रोन्नति द्वारा भरी जायेगी। सहायक निदेशक से उपनिदेशक के पद पर एवं उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर प्रोन्नति होगी जो विभागीय स्तर पर होगी।

(II) भर्ती में आरक्षण के नियमों/रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

6. **रिक्तियों का निर्धारण**:- विभाग प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के आधार पर रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेगा तथा रिक्तियों को भरने हेतु आयोग को संसूचित करेगा।
7. **रिक्तियों का भरा जाना**:- विभाग प्रत्येक वर्ष नियम (6) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा की मूल कोटि में सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग को संसूचित करेगा प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन आयोग करेगा और शैक्षणिक योग्यताएँ, उम्र सीमा, पाठ्यक्रम आदि वही रहेगी जो राज्य सरकार द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा संचालित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों से सफल उम्मीदवार द्वारा भरा जायेगा।
8. **सेवा में नियुक्ति**:- "झारखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षाफल एवं साक्षात्कार के आधार पर कोटिवार मेघा-सह-वरीयता क्रम में चयनित परीक्षार्थियों की सूची तैयार करेगा तथा नियुक्ति हेतु अधियाचित संख्या में सफल परीक्षार्थियों की अनुशंसा भेजेगा"।

भाग - 3 प्रोन्नति

9. इस सेवा में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसके अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे द्वारा इस नियमावली के अधीन प्रोन्नति के योग्य व्यक्तियों के बीच की वरीयता के आधार पर की जायेगी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर प्रोन्नति संबंधी निर्गत संकल्प/परिपत्र/अधिसूचना इस सेवा के प्रोन्नति संबंधी मामलों में लागू होंगे। प्रोन्नति हेतु आरक्षण नियम/रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
10. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पदधारक उपनिदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे और उपनिदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पदधारक संयुक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे।
कालावधि:- सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के उपनिदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पद पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि 6 वर्ष की होगी तथा उपनिदेशक, सामाजिक सुरक्षा से संयुक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पद पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि 4 वर्ष की होगी। यह कालावधि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश / संकल्प के अनुसार लागू होगी।
11. इन उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु उम्मीदवार की पात्रता पर उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी सम्बर्गीय वरीयता एवं गोपनीय चारित्रि अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।
12. **प्रोन्नति होने पर आरंभिक वेतन निर्धारण**:- सेवा के किसी पदाधिकारी की निम्नतर कोटि से उच्चतर कोटि में मौलिक रूप से प्रोन्नति होने पर उनका वेतन तत्समय प्रवृत्त सरकारी नियमों एवं अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगा।

भाग - 4 सेवा की अन्य शर्तें

13. परीक्षा:-

- (i) सेवा की मौलिक रिक्तियों पर की जानेवाली सभी नियुक्तियाँ परीक्ष्यमान रूप में की जाएगी। परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्ष की होगी।

- (ii) परीक्षा की अवधि में प्रत्येक पदाधिकारी से राज्य सरकार द्वारा विहित विभागीय परीक्षाओं या जाँच परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जा सकेगी।
- (iii) परीक्षा की अवधि में या उसके बाद किसी पदाधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो यथा स्थिति, उसे पदोन्मुक्त अथवा उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा अथवा यदि राज्य सरकार ऐसा विचार करे तो उसकी परीक्षा की अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा।
- (iv) परीक्षा की अवधि पूरी हो जाने पर पदाधिकारी की सेवा की सम्पुष्ट किया जा सकेगा, वशर्ते कि उसने विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो तथा सरकार उसे सम्पुष्टि के योग्य समझती हो।

14. **प्रशिक्षण:-**मूलकोटि में नियुक्त के उपरान्त प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी। केन्द्रीय परीक्षा नियमावली भाग-1 के अनुसार विभागीय परीक्षा एवं जनजातीय भाषा की परीक्षा का प्रावधान भी रहेगा।

15. **विभागीय परीक्षा:-**

- (i) सम्पुष्टि के पूर्व प्रत्येक पदाधिकारी के के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
- (ii) कोई भी पदाधिकारी प्रोन्नति हेतु तब तक योग्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह सरकार द्वारा विहित विभागीय परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण न हो जाय।
- (iii) विभागीय परीक्षा में जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (iv) विभागीय परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा निर्धारण किये जायेंगे।

16. **वरीयता:-**संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों की वरीयता का निर्धारण सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा।

17. **सामान्य:-**इस नियमावली में विशिष्ट रूप से उपबंधित स्थिति को छोड़कर इस सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों की सेवाशर्तें, सरकार द्वारा सरकारी सेवक के लिए विहित समुचित नियमों, जो उस समय प्रवृत्त हों, द्वारा विनियमित की जायेंगी।

18. **अनुशासनिक कार्रवाई:-**अनुशासनिक कार्रवाई असेनिक सेवाये (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के तहत महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा की जायेगी।

मुखमीत सिंह भाटिया,

प्रधान सचिव
